APP-A

Crim-1

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

बनवारी लाल पुत्र हनुमान बनाम श्रीमती सुगनी देवी w/o राम करन गुर्जर

प्रमोद... अग्रवाल व अन्य व अन्य

किस्म मुकदमा ——— नम्बर ——— सन् 20 19 ( ) किशनगढ़

225 राज० काश्तकारी अधि० 92

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर 2019/00092 श्री इन्द्रेश कुमार रामचन्दानी	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
13.3.19	**अपील संख्या 2019/00 बउनवानी बनवारी लाल बनाम श्रीमती सुगनी देवी वगैरह,**	

यह अपील श्री इन्द्रेश रामचन्दानी एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के आदेश दिनांक 30.01.2019, प्रकरण संख्या 16/2019 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील पर प्रथमतः पोषणीयता के बिन्दु पर बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस में बताया कि ऐसे अंतरिम आदेश की अपील न्यायालय हाजा में ही पोषणीय होने बाबत् कथन किया यह अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय हैं तथा न्यायालय हाजा को ऐसे आदेश की विरूद्ध अपील सुनने का पूर्ण क्षेत्राधिकार हैं।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के में समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 ने एक वाद पत्र प्रस्तुत किया था तथा साथ ही वाद पत्र के कथनानुसार प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित भूमि प्रार्थीयागण के पति/पिता रामकरण पुत्र जीवण के कब्जे काश्त व खातेदारी की थी जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड में हो रखा था। प्रार्थीयागण के पति/पिता के द्वारा उक्त भूमि का बेचान बाबत् दस्तावेज निष्पादित नहीं किया गया है। प्रार्थीयागण के पति/पित की मृत्यु के बाद उक्त भूमि में प्रार्थीगण का हक हिस्सा अधिकार विरासत में प्राप्त हुआ हैं जिसके तहत् प्रार्थीगयागण का उक्त भूमि में हक हिस्सा निहित होकर कब्जा है। इसलिए विवादित आराजी खसरा नम्बर 41 रकबा 2 बीघा का प्रार्थीयागण का निहित 1/3 हिस्से की भूमि में से जबरन बेदखल नहीं करे, कब्जेकाश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा निर्माण कार्य नहीं एवं विवादित आराजी को रहन, बय व मुन्तकिल नही करने व राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति के आदेश प्रदान करावें । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विवादित आराजी बाबत आगामी पेशी तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में कथन किया कि अपीलांट एवं उनके पूर्वाधिकारी को प्रत्यर्थीगण के पूर्वाधिकारी रामकरण एवं उसके भाई देवकरण तथा अर्जुन ने उपरोक्त खसरा नम्बर 41 रकबा 2 बीघा भूमि दिनांक 16.09.1994 को विक्रय विलेख जो पंजीयन हेतु उप पंजीयक किशनगढ़ कार्यालय में दिनांक 23.09.1994 को रामकरण एवं उसके भाई देवकरण तथा अर्जुन ने संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया था तथा उप–पंजीयक के पृष्ठांकन के उपरानत एवं राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त भूमि के नामान्तकरण संख्या 940 दिनांक 04.09.1997 के रहते हुए एक रिकार्डेड खातेदार को उसके अधिकार, मिलकीयत, खातेदारी की भूमि के बाबद् एक पक्षीय रूप से स्थगन से पाबंद किया है जो विधि सम्मत नही है। मान्नीय राजस्व मण्डल राज.,अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.12.2015 के विपरीत होकर न्यायिक शिष्टाचार के अधीन भी विधिगत नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एक पक्षीय, मनमाना, निरंकुश होकर अपास्त किये जाने योग्य हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार

लगातार

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

119/225 बनवारी लाल vs श्रीमती कुसाली देवी

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री उमेश कुमार राजस्व श्री	
लगातार	किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 30.01.2019 की क्रियान्वित ताफैसला अपील स्थगित की जावें अथवा अपील अपीलांट स्वीकार की जावें। अभिभाषक अपीलांट ने पक्ष में 2000 एस.आर.एस(सिविल)882, आर.आर.टी.2014(1)पेज 409, आर.आर.टी.2004(1)पेज 366 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया ।	

अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं प्रस्तुत नजीर का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ ने अपने एक पक्षीय आदेश दिनांक 30.01.2019 द्वारा प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया है,जो विधि सम्मत नहीं है। चुँकि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना है इसलिए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्व काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में निस्तारण करें।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती हैं तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता कि वे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधि. (अस्थायी निषेधाज्ञा) पर उभयपक्षकारा को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के तीन महत्वपूर्ण बिन्दुओं प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का विवेचन कर, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर इस न्यायालय के आदेश से 30 दिवस में निस्तारण करें। अपीलांटस को पाबंद किया जाता है कि वे न्यायालय हाजा के आदेश की अनुपालना में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। अधीनस्थ न्यायालय उक्त आदेश की प्राप्ति से 30 दिवस में अस्थायी निषेधाज्ञा का निस्तारण नहीं करते है तो उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावें। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। मिसल फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हस्ताक्षर)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर